सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

नसीबकौर वगैरा बनाम स्टेट व भोली
अपील प्रकरण सं. 62/2016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर वं तारीख
24.08.16	अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। धारा 96 सीपी0सी0 के प्रार्थना पत्र पर वकील अपीलांट को सुना गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। स्थगन प्रार्थना पत्र पर अपीलांट के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अपीलांट के अधिवक्ता का मुख्य तर्क है कि अपीलांटस के पूर्वज रेशमसिंह को 11 बीघा भूमि जरिये तमलीकनामा दिनांक 30–10–61 से तमलीक किया गया था जो उसके कब्जा काश्त में चला गया। रेशमसिंह के देहान्त के बाद अपीलांटस के वारिसान काबिज चले आ रहे हैं। अपीलकृत आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांटस को सुना नहीं गया। अपीलकृत आदेश की पालना में ना केवल राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन किया जा रहा है तथा रकबा को भी कम किया जा रहा है एवं बेदखल करने की भी कौशिश की जा रही है। उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय में 212 आर टी एक्ट का निर्णय अपीलांटस के पक्ष में हो चुका है तथा मामला राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर के न्यायालय में लंबित है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलकृत आदेश को स्टे किया जावे एवं बेदखल करने से रोका जावे। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया।प्रथमदृष्टया मामला अपीलांटस के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र आराजी तौर पर स्वीकार किया जाता है तथा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रेस्पोडेन्टस को पाबन्द किया जाता है कि अपीलकृत आदेश दिनांक 2346 दिनांक 22–8–16 में वर्णित भूमि के मौके एवं रेकार्ड की आगामी तारीख पेशी तक यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये जाते हैं। रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया जावे। अपीलकृत आदेश से संबंधित मूल रेकार्ड तलब किया जावे। आदेशिका की प्रति जारी हो। पत्रावली दिनांक 22–9–16 को पेश हो। Lal	N.J. with सम्मन(2) 2065 26.8.16 2064 26.8.16 (स्थगन आदेश)
22.09.16	अपीलांट के अधिवक्ता उप०। पूर्व में जारी स्थगन की अवधि आ० पेशी तक बढ़ाई जाती है। रेस्पोडेन्टस को जारी सम्मन वापस/अदम तामील- अप्राप्त। पत्रावली दिनांक 09.11.16 को पेश हो।	

Scanned by CamScanner

Continuation Note Sheet Gen. No. 13

6/3/20 अपीलांट अधिवक्ता स्थगन अवधि आगामी पेशी तक बढ़ाई जाती है। पत्रावली पीठासीन अधिकारी दि० 11/3/20 को पेश हो।

11/3/20 बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठासीन अधिकारी .... है। पत्रावली दिनांक 12/3/20 को पेश हो। पर्व

12/3/20 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित नहीं। अधिवक्ता अपीलान्ट को पृथक-पृथक समय पर रुक-रुक कर बार-बार आवाजे लगाई गई, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए। ऐसी स्थिति में अपील अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। आदेश की प्रति सम्बन्धित तहसीलदार को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे व बाद तकमील जिला अभिलेखागार में जमा कराई जावे।

आदेश सुनाया गया।

अति.जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर